



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ, 1942 (श०)

संख्या-93 राँची, शुक्रवार,

5 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 जनवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-201/2017-797 (HRMS)-- श्री अनिल कुमार तिकी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-746/03, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी, गिरिडीह के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5922(9)/रा0, दिनांक 11.12.2017 के माध्यम से उपायुक्त, गिरिडीह का ज्ञापक-986, दिनांक 11.10.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री तिकी के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(क) लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड के पत्रांक-1369, दिनांक 20.04.2017 द्वारा प्राप्त माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 07.04.2011 को पारित आदेश एवं पत्रांक-4033, दिनांक 12.09.2017 के आलोक में उपायुक्त, गिरिडीह के निदेशानुसार उप विकास आयुक्त के पत्रांक-2548/ अभि०, दिनांक 22.09.2017 द्वारा श्री पंकज कुमार, प्रभारी निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह एवं श्री रविशंकर विद्यार्थी, अनुमंडल पदाधिकारी को पुनः उक्त आरोप के संदर्भ में जाँच करने का आदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त के पत्रांक-8619/अभि0, दिनांक 05.10.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर यह अनुशंसा किया गया कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी द्वारा इंदिरा आवास योजना अभिलेख सं०-70/2009-10 पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर पर ध्यान दिये बिना चेक निर्गत कर दिया गया। भुगतान की अंतिम जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है।

(ख) पुनिया देवी, स्व0 बुंदलाल राय की दूसरी पत्नी थी तो पहली पत्नी के रहते हुए इंदिरा आवास योजना का लाभ देने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहली पत्नी के रहते स्व0 बुंदलाल राय की दूसरी शादी अवैध थी।

(ग) श्री अनिल कुमार तिर्की के उक्त कृत्य से 32,500/- रु० की सरकारी योजना का लाभ वास्तविक लाभुक को न मिलकर किसी अन्य को मिला।

(घ) श्री अनिल कुमार तिर्की द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-458, दिनांक 16.01.2018 द्वारा श्री तिर्की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री तिर्की के पत्र, दिनांक 11.06.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि-

(क) प्रश्नगत अभिलेख उनके द्वारा एवं उनके कार्यकाल में संधारित नहीं हुआ है। अभिलेख दिनांक 23.10.2019 को खोला गया है, जिसमें पदाधिकारी के रूप में इनका हस्ताक्षर नहीं है। तत्समय तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी शारदानन्द देव थे।

(ख) अभिलेख सं0-70/2009-10 पूर्व पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा खोला गया था। उक्त अभिलेख इनके हस्ताक्षर से अनुमोदन हेतु नहीं भेजा गया है।

(ग) योजना अभिलेख में उचित पहचान एवं प्राप्ति रसीद के पूर्व चेक निर्गत किया जाता है एवं निर्गत पश्चात् उचित पहचान एवं प्राप्ति रसीद पर भुगतान किया जाता है, जो बाद की कार्रवाई कार्यालय द्वारा एवं क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यह लेखा संधारण की स्थापित व्यवस्था है। चेक पुनिया देवी के नाम से ही निर्गत है। चेक की प्राप्ति लेखा संधारण की स्थापित व्यवस्था एवं व्यवहार में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नहीं कराते हैं।

(घ) दिनांक 10.04.2010 के पूर्व मेरे द्वारा प्रश्नगत अभिलेख में चेक निर्गत नहीं किया गया है, जो योजना अभिलेख के आदेश फलक के छायाप्रति से सम्पुष्ट हो जाता है। दिनांक 10.04.2010 के पूर्व पदाधिकारी के रूप में अन्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर है।

श्री तिर्की के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7270, दिनांक 26.09.2018 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से मंतव्य की माँग की गई एवं मंतव्य अप्राप्त रहने पर इसके लिए स्मारित किया गया। तत्पश्चात् उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-549/विधि, दिनांक 10.08.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा निम्नवत् मंतव्य गठित किया गया है-

(i) प्रश्नगत अभिलेख श्री तिर्की के पूर्व पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी के कार्यकाल में खोला गया था।

(ii) दूसरे एवं अंतिम किश्त का भुगतान श्री तिर्की के कार्यकाल में हुआ है एवं चेक प्राप्त पुनिया देवी के स्थान पर पुरनी देवी द्वारा किया गया है।

(iii) श्री तिर्की द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के बिन्दु 'ग' स्वीकार योग्य है।

(iv) इस मामले में पुनिया देवी एवं पुरनी देवी दोनों के पति स्व० बुंदलाल राय के द्वारा माननीय लोकायुक्त के कार्यालय में शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है।

(v) इंदिरा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(vi) माननीय लोकायुक्त द्वारा इस मामले को निष्पादित करते हुए संचिकास्त किया गया है।

श्री तिर्की के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा उपायुक्त, गिरिडीह मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, उपायुक्त, गिरिडीह के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अनिल कुमार तिर्की, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी, गिरिडीह को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANIL KR.TRIKEY BHR/BAS/3614	श्री अनिल कुमार तिर्की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-746/03, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी, गिरिडीह को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
